

8124

वकील उभयपक्ष उपर है। गवाह केसन्ती उपर है।
वकील उभयपक्ष साक्ष्य को समय चाहते है। अतः
वास्ते साक्ष्य पत्रावली दि० 14-2015 को पेश हो।

नि० केसन्ती

16-11-15 वकील उभयपक्ष उपर है। वास्ते साक्ष्य पत्रावली
दि० 13-3-15 को पेश हो।

नि० केसन्ती

13-3-15
पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपरिधत है। श्रीमान् P.O. साक्ष्य
बारे पर है। अयकास पर है / का रकमानास्तस्य
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 17-4-15
को पेश हो। गवाह केसन्ती उपर है।

17-4-15 वकील उभयपक्ष उपरिधत है। गवाह उपरिधत नहीं है।
वास्ते साक्ष्य पत्रावली दि० 22-5-15 को पेश हो।

22.5.15

पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील
उभयपक्ष उपरिधत है। श्रीमान् P.O. साक्ष्य
बारे पर है। अयकास पर है / का रकमानास्तस्य
हो गया है। अतः पत्रावली दि० 3.7.15 को पेश हो।

रीडर

38761-68

3-7-15

पत्रावली आज लोक अदालत शिविर चूली में पेश हुई।
वादिया केसन्ती देवी व प्रतिवादी नं० 5, 8
उपरिधत है। पत्रकारों ने राजीनामा इस आशय
का पेश किया है कि भूमि रक० नं० 148 ग्राम ताजपुर
का सीमाज्ञान ना० तह० के नेतृत्व में पटवारी हल्का व
गिरदावर की तीन सदस्यीय टीम करे तथा वादिया की
भूमि को चिन्हित कर उसे सँभला दे। वादिया
की भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो
उसे हटा कर मुझे भूमि दी जावे। प्रतिवादी इससे
सहमत है। इसी आधार पर वादिया अपना दावा वापस
ले रही है। वादिया का दावा वापिस लौटा
दिया जावे।

नि० केसन्ती

श्रीमान्

हल्का व गिरदावर

पत्रकारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामे
का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामे
अनुसार डिक्री जारी की जावे। पालना हेतु तहसीलदार
गंगापुर को लिया जावे। पत्रावली पेश होकर नम्बर से कम हो।

सतीश कुमार शर्मा

नि० केसन्ती

नम्बर व त
अहकाम ज
हुकम की त
में जारी

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) चूल्ही

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

केशन्तीदेवी पति छुट्टनलाल, मीना निवासी आदर्श नगर गंगापूर सिटी
बनाम

---वादिया

1. लक्ष्मी पुत्र बबलू, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी
 2. गजानन्द पुत्र बबलू, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी
 3. अशोक पुत्र मोहन, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी
 4. शिवदयाल पुत्र मोहन, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी
 5. बबलू पुत्र श्यामसुन्दर, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी
 6. लोटे पुत्र श्यामसुन्दर, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी
 7. बबलू पुत्र हरी, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी
 8. श्यामसुन्दर पुत्र जगनलाल, स्वर्णकार निवासी छावा तहसील गंगापूर सिटी ---प्रतिवादीगण
- दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं - 71/2008

वादी की ओर से वादिया केशन्तीदेवी व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी श्यामसुन्दर कोर्ट की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 3.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि औ डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0नं0 148 रकब का एचर ग्राम ताजपुर का सीमाज्ञान नायब तहसीलदार गंगापूर, गिरदावर व पटवारी हलक द्वारा करकर वादी की भूमि चिन्हित करने व भूमि वादी को संभलाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति भी दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 3.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर र्द



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे		प्रतिवादी
रूपया		रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका को तामील
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील		
जोड		जोड

41
3
1
1
06/168
06/15
गंगापूर
ताजपुर
व
याकी
वादिया
तो
ने
वापस
या
नामे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- यू.के.

राजीनामा प्रपत्र


दिनांक 3/7/15

पीठासीन अधिकारी महोदय,

प्रकरण संख्या के.श.नं.डी.नं. 71/08 वनाम लालाजी राठौर
अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act

प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री के.श.नं.डी.नं. उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सवन्ध अच्छे हो चुके हैं।
आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

प्रमाण सं. नं. 148 राठौर 0.85 है गंगु - लालपुर तहसील गंगु
राठौर नाथ तहसील गंगु की जमीन का 420 वर्ग फीट का क्षेत्र
जमीन का क्षेत्र करीब 100 वर्ग फीट का क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र
जमीन का क्षेत्र करीब 100 वर्ग फीट का क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र
जमीन का क्षेत्र करीब 100 वर्ग फीट का क्षेत्र का क्षेत्र का क्षेत्र
राजीनामा से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।



के.श.नं.डी.नं.

- प्रतिवादी पक्ष 1. श्यामसुन्दर लोनी
 2. के.श.नं.डी.नं.
 3. के.श.नं.डी.नं.
 4. के.श.नं.डी.नं.

हस्ताक्षर के.श.नं.डी.नं.
नाम के.श.नं.डी.नं.

प्रतिवादी पक्ष के हस्ताक्षर श्यामसुन्दर लोनी
नाम श्यामसुन्दर लोनी

प्रार्थी/वादी के.श.नं.डी.नं. एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी श्यामसुन्दर लोनी
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इवारत को सुन व समझ कर सही होना
नया। अतः राजीनामा हस्तस्वाहिस पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) सतीश कुमार शर्मा (ह0 सदस्य) के.श.नं.डी.नं. (ह0 सदस्य)
सदस्य

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगपुर सिटी